



2026:AHC:17852

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 323 वर्ष 2026

श्यामसुंदर चौरसिया

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: जया नाथ पटेल, मयंक शेखर सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जय नाथ पटेल और राज्य-प्रतिपक्षी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बात सुनी।
2. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तर-10 में दिए गए कथनों के आधार पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि रिट याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका विचारणीय नहीं हो सकती है।
3. इस प्रकार की दलील के जवाब में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कानून के तहत उपलब्ध उपाय का सहारा लेते हुए वर्तमान याचिका को वापस लेने की मांग की है, और उन्हें नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है।
4. उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

27 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।